न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–97/2022 (GCMS No. 2022/102) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सत्यदेव पुत्र भगवान स्वरूप उम्र करीब 76 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा वार्ड नम्बर 15 कस्बा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल निवासी 48/46 रजत पथ मोती पथ मानसरोवर जयपुर राजस्थान **(मृतक)**

1/1 श्रीमती सुनीता पत्नी सत्यदेव
1/2 कपिलदेव
1/3 नकुलदेव
} पुत्रगण सत्यदेव } जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी हाल निवासी 48/46 रजत पथ मोती पथ, मानसरोवर जयपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर (राज0)
2. कुलदीप पुत्र राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी, तहसील बाडी, जिला धौलपुर **(मृतक)**

2/1 रजनी पत्नी कुलदीप
2/2 लावन्या
2/3 किट्टू
} पुत्री नाबालिग वसरपरस्ती कुलदीप माता रजनी
जातिगण ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा, बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर (राज0)

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2022
तहसीलदार बाडी अपील संख्या 10/2021

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री रामअवतार गौड़, वकील
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री योगेश शर्मा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 14.05.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाडी के आदेश दिनांक 13.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2225, 2226, 2227, 2228, 2236, 2237,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

2238, 2239 एवं 2241 कुल किता 9 कुल रकवा 10 बीघा 03 विस्वा वांके ग्राम बाडी नम्बर 3 तहसील बाडी में सोमदेव पुत्र भगवान स्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी गांधीपाडा बाडी सम्पूर्ण भाग तथा आराजी खसरा नम्बर 2215, 2216, 2218, 2219 एवं 2255 कुल किता 5 कुल रकवा 4 बीघा 17 विस्वा वांके ग्राम बाडी नम्बर 3 में 1/5 भाग का एवं आराजी खसरा नम्बर 6208/2556 रकवा 12 विस्वा में 145/7256 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे और मुताबिक हिस्सा विवादित आराजीयात पर जीवन पर्यन्त काबिज काश्त थे। सोमदेव का निधन दिनांक 24.06.2015 को स्वभाविक रूप से लाबल्द बिला जौजे निर्वसीयत हो गया। सोमदेव की उपरोक्त छोडी गई आराजी मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन उसके नजदीकी वारिसान जीवित भाई सत्यदेव, राजकुमार एवं विष्णुदत्त पर वहिस्सा बराबर प्रकान्त हुई और वे आराजीयात पर काबिज काश्त हुये। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा सोमदेव की छोडी गई आराजी को हडपने की नीयत से फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा तैयार कराकर प्रार्थना पत्र वास्ते दाखिल खारिज रेस्पो. संख्या 1 के यहॉ पेश किया। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित आराजीयात का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 2 के हक में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा असालतन एवं जरिये अधिवक्ता अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तियों पर किसी प्रकार कोई विधि सम्मत निस्तारण किये बिना ही रेस्पो. संख्या 2 को लाभ पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात के बावत् भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में नियमित वाद विचाराधीन होने तथा विवादित आराजीयात के संबंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के आदेश दिये हुये हैं जो वर्तमान में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त एक नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी में वाद संख्या 26/2021 उनवान सत्यदेव बनाम राजकुमार विचाराधीन है। जिसमें भी स्थगन जारी है। उपरोक्त वादों में पक्षकारों के हित एवं अधिकारों का निर्धारण होना है। जिसपर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.2021 को वर्णित आराजी पर न्यायालयों के स्थगन आदेशों के निर्णय उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

की जावेगी तब तक वसीयतनामा प्रकरण को स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये। इसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2022 पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिया गया जिसकी जॉच जिला कलक्टर धौलपुर से चाही गई। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कथित एवं कूटरचित वसीयत की छायाप्रति अधीनस्थ अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत की और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से साक्ष्य समाअत की गई तथा बिना असल वसीयत को देखे कानूनन साक्ष्य समाअत नहीं की जा सकती और न ही कथित वसीयत को साबित माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा उपस्थित गवाहान से जिरह का अवसर प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। कथित कूटरचित वसीयत की जॉच करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2021 थाना बाडी में दर्ज कराई है। जिस पर अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा दिनांक 24.05.2022 को वांछित वसीयत की जॉच हेतु एफ.एस.एल. के लिये भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व दे दी गई। इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर रेस्पो. संख्या 2 से साज कर बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्रारम्भिक दृष्टि से संदेहास्पद एवं फर्जी प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्तियों में वर्णित किया कि उपखण्ड अधिकारी बाडी के न्यायालय में एक नियमित बंटवारा वाद सहमति बटवारानामा के आधार पर पेश होकर वाद क्रमांक 45/2012 उनवानी सत्यदेव बनाम सोमदेव वगैरा चला था जिसमें प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.12.2012 व कुर्रे अनुसार अन्तिम डिक्री दिनांक 15.01.2016 को पारित हुई। उक्त प्रकरण की जानकारी रेस्पो. संख्या 2 को थी फिर भी रेस्पो. संख्या 2 द्वारा सोमदेव की मृत्यु उपरान्त अपना क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। इससे साबित होता है कि उक्त अवधि में वसीयत अस्तित्व में नहीं थी बाद में फर्जी तैयार करना प्रमाणित है। रेस्पो. संख्या 1 ने इस तथ्य को नजर अन्दाज करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में वर्णित विवादित आराजीयात के बावत् सोमदेव को विरासत का निर्धारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 प्रकरण संख्या 15/2016 उनवानी आरती शर्मा बनाम रामायणी में किया जा चुका है जिसमें न्यायालय द्वारा मृतक सोमदेव की छोडी गयी आराजीयात पर सोमदेव के नजदीकी वारिसान उसके सगे भाई सत्यदेव एवं रेस्पो. संख्या 2 के पिता राजकुमार एवं विष्णुदत्त वगैरा को माना है जबकि रेस्पो. संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2017 के बजूद में रहते हुये निर्णय व डिक्री के विरूद्व जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाडी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2022 निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2017(2) पेज 1355, आरआरटी 2019 (1) पेज 184, आरबीजे 2020 पेज 301 एवं आरबीजे 2019 पेज 714 उद्वृत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं अपील पर कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्तियों को निस्तारण करते हुये तथा वसीयत के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का उपयोग कर सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलांट दुर्भावना पूर्वक उत्तरदातागण/आपत्तिकर्तागण को हैरान पेरशान करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अपीलांट ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेस्पो. के पति/पिता कुलदीप भारद्वाज के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 25.06.2013 को शून्य एवं अप्रभावी घोषित करने के लिए तथा स्वत्व उद्घोषणा के लिए न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश बाडी के समक्ष मूल दीवानी वाद संख्या 62/2022 उनवानी सत्यदेव बनाम रजनी देवी प्रस्तुत कर रखा है। इसी संबंध में एक मूल अपील भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में उनवानी कुलदीप भारद्वाज बनाम सत्यदेव विचाराधीन है। उन वादों के वजूद में रहते यह अपील पोषणीय नहीं है। सोमदेव लाबल्द फौत हो गया और विवादित आराजी की अपंजीकृत वसीयत सोमदेव द्वारा दिनांक 25.06.2013 को उनके भतीजे कुलदीप भारद्वाज के नाम की गई। तहसीलदार को धारा 135(2) के तहत पूर्ण अधिकार है। वसीयत को फर्जी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय वसीयत को फर्जी घोषित नहीं कर सकता है। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि असल वसीयत लौटाई जावे। तहसीलदार न्यायालय में असल वसीयत पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात जारी किया गया है। वसीयत को निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं है। राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में विज्ञापित आपत्ती पत्र स्याहा किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2020 पेज 111 उद्वृत किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आराजी सोमदेव पुत्र भगवान स्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी ख.नं. 2225, 2226, 2227, 2228, 2236, 2237, 2238, 2239, 2241 रकवा 10 बीघा 3 विस्वा का सम्पूर्ण भाग तथा ख.नं. 2215, 2216, 2218, 2219, 2255 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा का 1/5 भाग तथा ख.नं. 6208/2556 रकवा 12 विस्वा में 145/7256 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। सोमदेव द्वारा दिनांक 20.06.2013 को उक्त आराजीयात की वसीयत अपने भतीजे कुलदीप भारद्वाज के नाम करा दी। वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश से सोमदेव के स्थान पर कुलदीप के नाम नामांतरकरण खोलने के आदेश जारी कर दिये गये। वसीयत नामा के संबंध में तहसीलदार द्वारा स्टाम्प वैण्डर, दो गवाहों, एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिनके बयानों में कुलदीप भारद्वाज को सोमदेव द्वारा वसीयत नामा किया जाना बताया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार भी विवादित आराजी वसीयत गृहीता कुलदीप भारद्वाज काबिज होना व काश्त करना माना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वसीयत नामा के अनुसार दिनांक 20.06.2013 को स्टाम्प प्राप्त किया तथा उसी दिन नोटरी से प्रमाणित की गई है। तहसीलदार द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के आदेश दिनांक 22.02.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 25.09.2020 से स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त नामांतकरण सोमदेव पुत्र श्री भगवानस्वरूप के स्थान पर कुलदीप भारद्वाज के नाम खोलने का आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.05.2022 में वसीयत ग्रहीता द्वारा मूल वसीयतनामा पेश किया जाना अंकित है। वसीयतनामा के संबंध में विवाद निर्णित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वसीयत को साबित करने का दायित्व उसका है, जिसके पक्ष में की गई तथा इसके प्रमाणीकरण का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान की साक्ष्य लेकर किया गया है। यहॉ यह भी स्पष्ट है कि वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा पुलिस में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा जॉच अधिकारी द्वारा एफ.एस.एल. से परीक्षण कराने का उल्लेख है। वसीयत की वैधता का प्रश्न अब माननीय सिविल न्यायालय में है तथा माननीय सिविल न्यायालय में अभी तक इसको अवैध घोषित नहीं किया है। अतः जब तक सिविल न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भिन्न अभिमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर मौजूदा प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी का निर्णय दिनांक 13.06.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर